

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

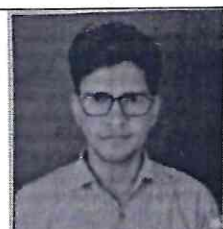
क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट-1/अलेसे-III/ 2045

दिनांक :- 11.01.2025

आदेश संख्या 197/2024-25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे कोषालय, प्रतापगढ़ में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करे:-

JRA Recruitment Exam – 2023 TSP Appointment List

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	HITESH BATHRA S/O BAGDIRAM BATHRA 796153	13/09/1997	Pratapgarh	
2.	MANISH TAILOR S/O GOPAL LAL TAILOR 791768	23-04-1991	Pratapgarh	
3.	HARISH MENARIYA S/O SURESH MENARIYA 793527	12-04-1994	Pratapgarh	
4.	RONAK TAK S/O VINOD TAK 796259	05-05-1996	Pratapgarh	
5.	MONIKA KUMAWAT D/O RAMESH KUMAWAT 789777	15-01-2000	Pratapgarh	
6.	MAHESH ANJANA S/O RAM SINGH ANJANA 793770	17-08-1998	Pratapgarh	

7.	HARIOM PATIDAR S/O SHOBHA RAM 791537	25-12-1993	Pratapgarh	
8.	KAILASH CHANDRA PRAJAPAT S/O DURGA SHANKER PRAJAPAT 792911	25-08-1991	Pratapgarh	
9.	SANJAY MALI S/O DINESH MALI 794564	27-05-2002	Pratapgarh	
10.	CHANDRESH KUMAWAT S/O NANDKISHOR KUMAWAT 789682	08-12-2001	Pratapgarh	
11.	MOHAMMAD AMIN MANSURY S/O NASIR MOHAMMED MANSURY 794635	19-04-1995	Pratapgarh	
12.	DIVYA VAISHNAV D/O HARIOM DAS VAISHNAV 790684	15-06-2001	Pratapgarh	
13.	DEV KISHAN KHATIK S/O JEETMAL KHATIK 793039	21-11-2001	Pratapgarh	
14.	MAMTA KUNWAR RAJPUT D/O BHERU SINGH RAJPUT 794185	07-08-1996	Pratapgarh	
15.	KAJAL TELI D/O RAMESH TELI 789548	16-03-1997	Pratapgarh	
16.	SHANTI LAL MEENA S/O HAR LAL MEENA 790493	18-06-1996	Pratapgarh	



17.	BHERU LAL MEENA S/O KANURAM MEENA 794309	11-06-1996	Pratapgarh	
18.	NARAYAN LAL MEENA S/O RAM LAL MEENA 791936	26-08-1990	Pratapgarh	
19.	DINESH CHANDRA MEENA S/O RAM CHANDRA MEENA 794724	05-02-2001	Pratapgarh	
20.	SHIV LAL MEENA S/O LALURAM 794210	20-04-2001	Pratapgarh	
21.	KUSUM LATA MEENA D/O KAILASH CHANDRA MEENA 793001	15-07-2002	Pratapgarh	
22.	ANIL KUMAR MEENA S/O BARJI MEENA 791287	06-05-2000	Pratapgarh	
23.	SATISH MEENA S/O UDAILAL MEENA 791256	07-08-2000	Pratapgarh	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मैट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:—
 1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
 5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामले को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अधीन रहेगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न:— शपथ-पत्रों के प्रारूप


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट-1/अलेसे-111/2045
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 11.01.2025

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावे:—
 1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
 5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र
 6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में (उक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।



9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

